# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./108/2025/बाड़मेर**

| अपीलांटस | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| 1. हरियो पत्नी दुर्गाराम, जाति भील, निवासी खोखसर पूर्व, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा। | 1. पपुदेवी पत्नी तगाराम<br>2. राधा कुमारी पुत्री तगाराम, जातियान भील, निवासीयान तेना, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।<br>3. गेनाराम पुत्र खेतीया, फौत के का. मु.–<br>3/1. गुली पत्नी गेनाराम<br>3/2. केशाराम पुत्र गेनाराम<br>3/3. दलपत पुत्र गेनाराम<br>3/4. गजाराम पुत्र गेनाराम<br>3/5. भोमाराम पुत्र गेनाराम<br>3/6. कमला पुत्री गेनाराम<br>4. भीखाराम पुत्र खेतीया<br>5. पन्नाराम पुत्र खेतीया<br>6. पांचाराम पुत्र धुड़ीया फौत के का. मु.–<br>6/1. देऊ पुत्री पांचाराम<br>7. लिखमाराम पुत्र धुड़िया<br>8. बिजला उर्फ़ बीजा पुत्र धुड़िया फौत के का. मु.–<br>8/1. ढ़लाराम पुत्र बिजलाराम<br>8/2. देवा पुत्र बिजलाराम<br>8/3. अणसी पत्नी बिजलाराम<br>9. फुसाराम पुत्र सुरताराम<br>10. डुंगराराम पुत्र सुरताराम<br>11. गजाराम पुत्र सुरताराम<br>12. पाबुराम पुत्र पुनाराम<br>13. रेंवताराम पुत्र पुना<br>14. उदाराम पुत्र पुनाराम<br>15. हपिया पुत्र पुनाराम<br>16. पाबुराम पुत्र दुर्गाराम<br>17. भोमाराम पुत्र दुर्गाराम<br>18. फुली देवी पत्नी शंकराराम<br>19. लेहरो पत्नी सुरताराम<br>20. अगरो पत्नी पुनाराम<br>21. जवारिया पुत्र मोबता फौत के का. मु.–<br>21/1. मालाराम पुत्र जवाराराम<br>21/2. चनणाराम पुत्र जवाराराम<br>21/3. गुणेशाराम पुत्र जवाराराम<br>21/4. भोमाराम पुत्र जवाराराम<br>21/5. हुकमाराम पुत्र जवाराराम<br>21/6. धापु पत्नी जवाराराम<br>21/7. गोलाराम पुत्र जवाराराम<br>21/8. मदिया पुत्र जवाराराम<br>21/9. रमेश पुत्र ज़वाराराम<br>21/10. कालीया पुत्र जवाराराम<br>21/11. धन्नी पत्नी जवाराराम<br>22. देवाराम पुत्र चौथाराम |

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

| | |
|---|---|
| | 23. ओमाराम पुत्र चौथाराम<br>24. सोनाराम पुत्र शंकराराम<br>25. बाबूराम पुत्र शंकराराम फौत के का. मु.–<br>25/1. राणाराम पुत्र बाबुराम<br>25/2. महेन्द्र पुत्र बाबुराम<br>25/3. मुमो पत्नी बाबुराम<br>25/4. रूगाराम पुत्र शंकराराम<br>25/5. सुमेर पुत्र शंकराराम<br>26. आम्बाराम पुत्र खेतीया,<br>27. संतोष पत्नी हमीराराम, जातियान भील निवासी खोखसंर पूर्व तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर हाल जिला बालोतरा।<br>28. श्रीमान तहसीलदार, गिड़ा, जिला बालोतरा। |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2021 बउनवान पपुदेवी वगैरह बनाम गेन्नाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.04.2025 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थितिः–**

1. वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पों. संख्या 3/2, 3/4, 3/5, 4, 5, 7, 8/1, 8/3, 10, 12 से 14, 16 से 18, 20, 21/4, 21/6, 21/9, 22 व 26 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## –:निर्णयः–

**दिनांकः–15.10.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व 02 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा खोखसर पूर्व, पटवार हल्का खोखसर, तहसील गिड़ा में खसरा संख्या 1621 रकबा 22.4034 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व 02 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा खोखसर पूर्व, पटवार हल्का खोखसर, तहसील गिड़ा में खसरा संख्या 1621 रकबा 22.4034 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर वाद अपीलांट को बिना विधिक तामील के ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब व साक्ष्य के अवसर बंद कर दिया गया। साक्ष्य व जबाव बंद करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुये तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। अपीलाधीन निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय एवं डिक्री विधि द्वारा बाधित है। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व 02 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा खोखसर पूर्व, पटवार हल्का खोखसर, तहसील गिड़ा में खसरा संख्या 1621 रकबा 22.4034 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स (वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स को सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी बाद तामील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया और ना ही उपस्थित आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस् की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट/वादी को साक्ष्य सबूत पेश करने कां कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/वादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। उक्तानुसार विचारण न्यायालय ने मूल वाद में वादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांट को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है जो विधि द्वारा बाधित होने के कारण हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उंक्त सम्स्त विधिक तथ्यों का अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक पक्षकारों के विरूद्ध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया प्रतीत होता है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2021 बउनवान पपुदेवी वगैरह बनाम गेनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्रांथमिक डिक्री दिनांक 23.04.2025 विधि विरूद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए फौत पक्षकारान के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करे एवं अधीनस्थ न्यायालय तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

15/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर